

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आ० सं०-01/विविध (शक्ति प्रत्या०)-05/2002..... /वि०, पटना, दिनांक

:: आदेश ::

वित्त विभागीय आदेश ज्ञापांक-79 दिनांक-04.01.2019 को संशोधित करते हुए वित्त विभागीय ज्ञापांक-8376 दिनांक-25.10.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय व्यय मद में रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र की अधिसीमा तक व्यय करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

2. इस संदर्भ में पूर्व निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -01/विविध (शक्ति प्रत्या०)-05/2002...../वि०, दिनांक 03-04-2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन) के आप्त सचिव/सचिव (व्यय) के आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

R Mandel

03/04/2025

सरकार के अवर सचिव।